स्व. भैरोंसिंह शेखावत का राजस्थान के विकास में अहम योगदान : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह विद्याधर नगर स्थित पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत के स्मृति स्थल पहुंचे। उन्होंने शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति का राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में अहम योगदान रहा। उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के मूल्यों के अनुरूप कार्य किए। स्व. शेखावत ने गरीब, किसान और पिछड़ा वर्ग के लिए अंत्योदय जैसी महती योजना राजस्थान में लागू की, जो कि बाद में पूरे देश में लागू की गई। शर्मा ने कहा कि स्व. शेखावत का जीवन हम सबके लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आव्हान किया कि उनकी पुण्यतिथि पर हमें सशक्त और समृद्ध राजस्थान बनाने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सांसद डॉ. मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भी स्मृति स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बाबोसा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए।

पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर उनके स्मृति स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सांसद डॉ. मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

- भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी स्व. शेखावत की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में शेखावत ने जो मार्गदर्शन छोड़ा है, वह पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली का आधार है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता किए बिना भी उत्कृष्ट राजनीति की जा सकती है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर स्व. भैरोंसिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रसारण निगम के 6 ग्रिड सब-स्टेशन उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक नथमल डिडेल ने गुरूवार को छह ग्रिड सब-स्टेशनों के अधिकारियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने 6 ग्रिड सब-स्टेशनों को अंक आधारित कार्य कुशलता योजना के आधार पर 2025 के प्रथम त्रैमासिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। इसमें 3 ग्रिड सब-स्टेशन 220 के.वी. व 3 ग्रिड सब-स्टेशन 132 के.वी. के हैं।

प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक नथमल डिडेल ने आज इन 6 ग्रिड सब-स्टेशनों के अधिकारियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। जिन ग्रिड सब-स्टेशनों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है, उनमें 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन श्रेणी में जयपुर जोन के कोटा सर्किल में बारां, अजमेर जोन के सीकर सर्किल में सीकर, जोधपुर जोन के हनुमानगढ़ सर्किल के भादरा, एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की श्रेणी में जयपुर जोन के कोटा सर्किल में बांरा, अजमेर जोन के भीलवाड़ा सर्किल में जहाजपुर, जोधपुर जोन के रतनगढ़ सर्किल में चाँदगोठी हैं।

नथमल डिडेल ने बताया कि प्रसारण निगम के ग्रिड सब-स्टेशनों के तकनिकी आंकलन हेतु अंक आधारित कार्यकुशलता योजना बनाई गई है जिसे प्रसारण निगम लागू किया गया है। इस योजना के तहत समस्त ग्रिड सब-स्टेशनों के विभिन्न तकनिकी बिन्दु, रख-रखाव एवं अन्य कार्यों का मासिक आधार पर आंकलन किया जाता है। इस योजना से समस्त ग्रिड सब-स्टेशनों की कार्यकुशलता में समुचित सुधार हुआ है तथा तकनिकी बिन्दुओं एव प्रसारण हास में भी अपेक्षित सुधार अर्जित किया गया है।

एकल पट्टा प्रकरण म सुनवाई जारी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएएस जीएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं अदालत ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई जारी रखना तय किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान संधू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कहा गया कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। मामले में पट्टा निरस्त होने के कई महीनों बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं जांच को लेकर पुलिस का स्टैंड भी बार-बार बदला है। प्रकरण में राज्य सरकार की किसी तरह की हानि नहीं हुई है। ऐसे में प्रकरण को लेकर कोई अपराध कारित नहीं हुआ है। इसलिए प्रकरण में की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए। इसके अलावा आरोप पत्र पेश करने के बाद राज्य सरकार ने अभियोजन वापस लेने के लिए एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। यदि राज्य सरकार को मामला एसीबी का लगता तो उनकी ओर से अभियोजन वापस लेने का निर्णय नहीं किया जाता है। बहस के दौरान अदालती समय पूरा होने के चलते अदालत ने मामले में सुनवाई शुक्रवार को तय की है।

भजनलाल शर्मा की सी. आर. पाटिल से भेंट

दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्तिमंत्री सी.आर.पाटिल से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान शर्मा ने प्रदेश की जल संसाधन विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं नदी संरक्षण कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से सार्थक चर्चा की।

शिव महापुराण कथा के आयोजकों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

जयपुर। जयपुर के विद्याधर नगर जयपुर में 1 से 7 मई तक आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन के पश्चात आयोजकों की घोर लापरवाही के चलते एक श्रमिक दिनेश की दर्दनाक मृत्यु हो गई। जहां आयोजन स्थल पर छोड़ी गई अस्थायी संरचनाओं और सार्वजनिक मार्ग पर लटकती रस्सियों के कारण आठ मई को हुए इस हादसे में दिनेश अपनी मोटरसाइकिल से गुजरते समय रस्सियों में उलझ कर गिर पड़ा और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर विद्याधर नगर थाने में आयोजक अनिल संत और राजन शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह एफआईआर बलराम जाखड़,महेश मावलिया,नरेंद्र चौधरी व भवानी सिंह शेखावत की ओर से बीएनएसएस की धारा 105 (पूर्व में आईपीसी 304-गैर इरादतन हत्या), 118(1), और 61(2) के तहत दर्ज कराई गई है। साथ ही शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आयोजक अनिल संत ने करोड़ों रुपये चंदे के रूप में एकत्र किए। जिनमें से 1 लाख 51 हजार की राशि स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा नकद दी गई थी। जिसकी कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई।

- धार्मिक आयोजन में लापरवाही से श्रमिक की मौत पर मामला दर्ज
- कथा के समापन के बाद आयोजकों की घोर लापरवाही के चलते एक श्रमिक की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी
- आयोजन स्थल पर रस्सियों को लटकता हुआ छोड़ दिया, जिससे दिनेश अपनी मोटरसाइकिल सहित उलझ कर गिर पड़ा था

कथा समापन के पश्चात आयोजकों द्वारा सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई, जिससे दुर्घटना घटी। आयोजकों की यह लापरवाही न केवल कानूनी रूप से आपराधिक है, बल्कि सामाजिक रूप से भी निंदनीय है।

शिकायत में यह भी बताया गया है कि अनिल संत एक भूमाफिया हैं, जिस पर कई ज़मीन घोटाले और धोखाधड़ी के प्रकरण लंबित हैं। कथाओं के माध्यम से जनता से धन एकत्र करना और उसका कोई स्पष्ट हिसाब न देना इनके कार्यशैली का हिस्सा है।

विद्याधर नगर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है और शीघ्र ही आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जाएगी। वहीं स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है। सभी ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए।

आयोग अध्यक्ष का कार्यभार आईएएस को सौंपने के आदेश पर रोक लगाई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस कुलदीप रांका को देने वाले गत 5 फरवरी के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो बाल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकती है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश आयोग सदस्य संगीता बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव की कमेटी की सिफारिश पर आयोग अध्यक्ष का पद भरा जाता है। जबकि प्रावधानों की अनदेखी कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चांदोलिया ने बताया कि संगीता बेनीवाल के इस्तीफा देने के चलते आयोग अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गत 5 फरवरी को आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप रांका को सौंप दिया। याचिका में कहा गया कि आयोग अध्यक्ष का कार्यभार किसी आईएएस अधिकारी को देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। विभाग की साल 2010 की अधिसूचना के तहत यदि अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उसका कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आईएएस कुलदीप रांका को बिना किसी प्रावधान अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयोग की वरिष्ठ सदस्य है। ऐसे में उसे आयोग अध्यक्ष के पद का कार्यभार सौंपा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेल में सेटेलाइट अस्पताल की मंजूरी दी

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर स्थित देश की पहली ओपन एयर जेल में 22,232 वर्गमीटर जमीन पर राज्य सरकार की ओर से 300 बैड्स के सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य के सीएस को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दे और उसमें बताए कि वह रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार ही जेल परिसर व हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जेल के लिए पहले से आवंटित 17,800 वर्ग मीटर जमीन के साथ ही 14,940 वर्ग मीटर जमीन को शामिल कर नए जेल का निर्माण होगा।

जम्मूतवी सुपर का नाम अब गलताधाम पूजा सुपरफास्ट एक्स.हुआ

जयपुर। लोगों की विशेष मांग पर रेलवे ने अजमेर-जम्मूतवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम अब गलताधाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कर गया है। स्वामी अवधेशाचार्य महाराज, जयपुर, पंजाब, जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के हजारों भक्तों के द्वारा लंबे समय से किये जा रहे सघन प्रयास एवं परिश्रम के परिणामस्वरूप यह कार्य संपन्न हुआ। इससे भक्तों में खुशी की लहर है।

सनातन की पुनर्स्थापना की अग्रदूत रही रानी अहिल्याबाई होल्कर : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा की ओर से रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष में 21 से 31 मई तक "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर 300वीं जयंती अभियान" चलाया जाएगा। अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर ने अपने शासन काल में अपने पराक्रम के साथ-साथ समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और समाज को समर्थ बनाने की दिशा में अभिनंदनीय कार्य किया। उन्होंने नैराश्य के भाव में जा रहे सनातन समाज को विदेशी दासता के कालखंड में जागृत करने का काम किया। उनके किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज देश में कार्य हो रहे है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि जब आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारने का काम किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने सबक सिखाकर अहिल्याबाई के न्यायप्रियता के सिद्धांत का ही पालन किया।

- 'अहिल्याबाई ने विदेशी दासता के कालखंड में समाज को जागृत करने का किया काम'

भाजपा प्रदेश कार्यालय में "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर 300वीं जयंती अभियान" की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को धर्म, न्याय और राष्ट्रधर्म का सजीव स्वरूप बताते हुए कहा कि वे भारतीय सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की अग्रदूत थी। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वरम तक तीर्थ स्थलों का पुनरूद्धार करवाया, वह भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय है।

प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ शिव शक्ति बख्शी ने रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सुशासन, सामाजिक सुरक्षा एवं सांस्कृति उत्थान के क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों के लिए लोकमाता के रूप में समाज में पूजित एवं प्रतिष्ठित हुई।

इस दौरान राज्यमंत्री डॉ मंजू बाघमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगडी, अभियान के प्रदेश संयोजक वासुदेव चावला, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, अभियान सह संयोजक सुमन शर्मा, अभियान सदस्य सरोज प्रजापति, जगत नारायण जोशी मंच पर उपस्थित रहे।

1045.2025